न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
फर्द अहकाम

बउनवानी लडडूलाल बनाम राजेन्द्र वगै.

किस्म प्रकरण– अपील प्रकरण संख्या 15/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न./ता.अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
3.7.2017	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 19.6.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील ग्राम पंचायत चौकडी द्वारा तस्दीक किये गये नामा0 संख्या 124 दिनांक 7.9.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है जिसको सुनवायी कीा क्षेत्राधिकार उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा को है किन्तु उक्त नामा. सें संबंधित आराजी ख.न. 43,44,63,338 कुल किता 4 कुल रकबा 0.78 का से संबंधित नामा संख्या 131 दिनांक 2.9.2015 के विरूद्व श्रीमान के न्यायालय में अपील संख्या 3/2016 राजेन्द्र बनाम लडडू लाल प्रस्तुत होने एवं तत्समय उक्त अपील जैरकार होने के कारण उक्त दोनो नामा. की सुनवायी एक साथ करवाने के मकसद से श्रीमान के न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी थी किन्तु नामा. संख्या 131 दिनांक 2.9.2015 से संबंधित अपील का निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा किया चुका है तथा उक्त अपील की निगरानी वर्तमान में माननीय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय मे जैरकार है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के न्यायालय मे अग्रिम सुनवायी हेतु स्थानान्तरित किये जाने बाबत निवेदन किया गया। वकील रेस्पो. द्वारा कथन किया कि प्रथम तो अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर प्रस्तुत की गयी है तथा नामा0 संख्या 131 दिनांक 2.9.2015 से संबंधित अपील श्रीमान के न्यायालय में अपील संख्या 3/2016 राजेन्द्र बनाम लडडू लाल का निस्तारण हो चुका है जिसकी निगरानी वर्तमान मे माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर में विचाराधीन है जिसमे माननीय सम्भागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय द्वारा पक्षकारान के हित तय होने है तथा प्रस्तुत अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार के बहार प्रस्तुत होने के कारण सुनवायी का अधिकारी नही होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया गया। वकील उभयपक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का सुनवायी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही होने के कारण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (के0सी0 वर्मा) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	